कार्यवृत्त

मंगलवार, 01 माघ, शक संवत्, 1935

(दिनांक 21 जनवरी, 2014 ई0)

खण्ड-38
अंक-3

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

मा0 सदस्य श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक'' ने औचित्य का प्रश्न उठाते हुए कहा कि मा0 अध्यक्ष जी द्वारा आपदा पर दिये गये निर्देश का पालन न किये जाने पर अपनी प्रगति रिपोर्ट सरकार द्वारा अभी तक प्रस्तुत नहीं की है। मा0 सदस्य, मदन कौशिक व नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे औचित्य के प्रश्न के उत्तर में अपना विनिश्चय सुरक्षित रखते हैं।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-310 के अन्तर्गत 02 सूचनाएं श्री मदन कौशिक व श्री गणेश जोशी की प्राप्त हुई हैं जो 310 की श्रेणी में नहीं आती। अतः श्री मदन कौशिक की सूचना को वे नियम- 58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

आज नियम-300 के अन्तर्गत निम्नांकित विषयों पर प्राप्त 16 सूचनाओं में से श्री जीत राम, सदस्य विधान सभा की सूचना को छोड़कर शेष सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई व स्वीकृत की गईः-

1. श्री जीत राम	''जनपद चमोली के थराली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सोल क्षेत्र के बूंगा बुरसोल, रतगाँव, रूईसांण आदि गांवों का विद्युतीकरण न होने के संबंध में।"
2. श्री मदन कौशिक	"हरिद्वार नगर निगम की होर्डिंग नीति को शासन की अनुमति न मिलने से नगर निगम को हो रहे करोड़ों के नुकसान के संबंध में।"
3. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	"विधान सभा क्षेत्र सल्ट की लगभग 26 मोटर मार्गों की स्वीकृति के उपरान्त भी राज्य निर्माण के 13 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी निर्माण कार्य न हो पाने के संबंध में।"
4. श्री राजकुमार	"देहरादून शहर के सबसे पुराने अस्पताल कोरोनेशन में प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के कारण अस्पताल बन्द होने के कगार पर होने के संबंध में।"
5. श्री मयूख महर	"जनपद पिथौरागढ़ में लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड में अधिकारियों द्वारा सारे नियमों को ताक पर रखते हुए विगत सात वर्षो से विभिन्न मोटर मार्ग निर्माण के कार्यो को अधूरा छोड़े जाने के संबंध में।"
6. कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'	"प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाये का पूर्ण भुगतान न किये जाने तथा चालू वर्ष के गन्ना मूल्य भुगतान को अनियमित रूप से 2 किस्तों में बाँटने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। ''
7. श्री यतीश्वरानन्द	"विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में टिहरी विस्थापित पथरी में सड़को की खराब हालत के संबंध में।''
8. श्री हरबंस कपूर	"वर्ष 1968 में देहरादून में तत्कालीन नगर पालिका परिषद द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से आवंटित टीचर्स कालोनी, गोविन्दगढ़ के भूमि, भू-खण्ड तथा भवन को फ्री-होल्ड करने के संबंध में।''

9. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	"विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम पं. आरकेडियाग्रान्ट के बनियावाला सेवली मार्ग 1100 मी0 की मरम्मत किये जाने की माँग के संबंध में।''
10. श्री प्रदीप बत्रा	विधान सभा क्षेत्र रूड़की के रूड़की शहर के गंगनहर स्थित सोनाली पार्क के सौन्दर्यीकरण की माँग के संबंध में।''
11. श्री विशन सिंह चुफाल	"जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधान सभा क्षेत्र में जंगली जानवरों, सुअर व बन्दरों से हो रहे जान-माल की हानि के संबंध में।''
12. श्री अजय टम्टा	"जनपद अल्मोड़ा में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की बदहाल सेवा के कारण हुई श्रीमती मंजू तिवारी की मृत्यु के संबंध में।''
13. श्री पूरन सिंह फर्त्याल	"विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट की समस्याओं की निवारण हेतु मा0 मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं का क्रियान्वयन न होने के संबंध में।''
14. श्रीमती विजय बड़थ्वाल	"विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित बहली पम्पिंग योजना का निर्माण न होने से उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में।''
15. श्री चन्दन राम दास	"प्रदेश में बी.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एफ. एवं योग प्रशिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दिये जाने के संबंध में।''
16. श्री ललित फर्स्वाण	"श्री भूपेश उपाध्याय, सचिव काँग्रेस कमेटी, उत्तराखण्ड को सुरक्षा कर्मी प्रदान किये जाने के संबंध में।''

संसदीय कार्य मंत्री, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तराखण्ड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2012-13 तथा आपदा रिपोर्ट 2013 को सदन के पटल पर रखेंगी।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड बागेश्वर के बाजड़ दौला स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री सोहन सिंह नेगी, निवासी ग्राम पंचायत भेटा, पो0 देवलबिछराल, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत मटोगी के मजरे कोल, की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री अनिल कुमार निवासी ग्राम कोल, ग्राम सभा मटोगी पोस्ट मदर्सू व तहसील विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत भलेर के मजरे काण्डोई की वर्ष 2013 में वर्षा से ध्वस्त पेयजल योजना बनाने के सम्बन्ध में'' श्री चन्द्रपाल सिंह, निवासी ग्राम- काण्डोई, ग्राम सभा-भलेर, पो0 आम्बाड़ी, तहसील विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत जीवनगढ़ की वर्ष 2013 में वर्षा से ध्वस्त पेयजल योजना बनाने के सम्बन्ध में'' श्री रमेश सिंह तोमर, निवासी ग्राम-हथियारी, ग्राम सभा-भलेर, पो0-मर्दसू, तहसील विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत भलेर के मजरे हथियारी में वर्षा से ध्वस्त सुरक्षा दीवार बनाने एवं क्षतिग्रस्त पाईप लाईन बनाने के सम्बन्ध में'' श्री रमेश सिंह तोमर, निवासी ग्राम-हथियारी, ग्राम सभा-भलेर, पो0-मर्दसू, तहसील विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत बावनधार के मजरे समेत की ध्वस्त पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री भरत सिंह, निवासी ग्राम समेत, ग्राम सभा बावनधार, पोस्ट-मदर्सू व तहसील विकास नगर, जनपद- देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत रूद्रपुर के मजरे देवथला की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना बनाने के सम्बन्ध में'' श्री भरत सिंह, निवासी-ग्राम देवथला, ग्राम सभा-रूद्रपुर, पोस्ट-रूद्रपुर व तहसील विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम सभा भीमावाला में यमुना नदी के बांये ओर शमशान घाट के समीप क्षतिग्रस्त कृषि भूमि का सुरक्षा कार्य (स्पर न0 2) बनाने के सम्बन्ध में'' श्री विनोद कुमार, निवासी ग्राम सभा-भीमावाला, पोस्ट व तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम सभा भीमावाला में यमुना नदी के बांये ओर शमशान घाट के समीप क्षतिग्रस्त कृषि भूमि का सुरक्षा कार्य (स्पर न0 1) बनाने के सम्बन्ध में'' श्री विनोद कुमार, निवासी- ग्राम सभा-भीमावाला, पोस्ट व तहसील-विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम सभा भलेर की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध मे'' श्री बाबूलाल सिंह, निवासी-ग्राम नोकड़, फारसीला, ग्राम सभा- भलेर, पोस्ट-मदर्सू व तहसील विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम सभा भलेर की ग्राम पंचायत भलेर, निगाई गाड में वर्षा से ध्वस्त पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री चन्द्रपाल सिंह, निवासी-ग्राम भलेर, ग्राम सभा-भलेर, पो0-मदर्सू तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बद्रीपुर के ग्राम ढंगा राव नाले से ग्रामीण बस्ती की बाढ़ सुरक्षा के सम्बन्ध में'' श्री राजेन्द्र सिंह नेगी, निवासी ग्राम-बद्रीपुर, ग्राम सभा-मेदनीपुर-बद्रीपुर पो0- धर्मावाला, तहसील-विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत भलेर के रतोई नाला की वर्षा से ध्वस्त सुरक्षा दीवार बनाने के सम्बन्ध में'' श्रीमती मीरा देवी, ग्राम प्रधान, निवासी ग्राम सभा-भलेर, पो0-मर्दसू, तहसील-विकास नगर जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बद्रीपुर में ढंगा राव नाले से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को बाढ़ से हो रही क्षति की सुरक्षा के सम्बन्ध में'' श्री राजवीर सिंह पंवार निवासी ग्राम बद्रीपुर ग्राम सभा मेदनीपुर-बद्रीपरु, पोस्ट-धर्मावाला व तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बद्रीपुर के ग्राम रीठ राव नाले से ग्रामीण बस्ती की बाढ़ से हो रही क्षति की सुरक्षा के सम्बन्ध में'' श्री राजवीर सिंह पंवार, निवासी-ग्राम बद्रीपुर, ग्राम सभा मेदनीपुर-बद्रीपुर, पोस्ट-धर्मावाला व तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम पंचायत मटोगी के मजरे आगरीगांव की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना बनाने के सम्बन्ध में'' श्री बलवान सिंह निवासी ग्राम मटोगी ग्राम सभा मटोगी पोस्ट मदर्सू व तहसील विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत मटोगी की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना बनाने के सम्बन्ध मे'' श्री बलवान सिंह, निवासी-ग्राम मटोगी, ग्राम सभा-मटोगी, पोस्ट-मदर्सू व तहसील विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम सभा बुलाकीवाला की क्षतिग्रस्त टी-कट नहर के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री अब्बास अली, निवासी-ग्राम बुलाकीवाला, ग्राम सभा-बुलाकीवाला, पोस्ट-अम्बाड़ी व तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत रूद्रपुर एवं ग्राम पंचायत केदारवाला की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री अनिल कुमार, निवासी-ग्राम व पो0 रूद्रपुर, ग्राम सभा-रूद्रपुर तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम सभा बुलाकीवाला की क्षतिग्रस्त तेलपुर नहर को कृषि भूमि की सिंचाई के लिये नहर निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री इमरान, निवासी-ग्राम तेलपुर, ग्राम सभा-बुलाकीवाला, पोस्ट- अम्बाड़ी, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत बावनधार के मजरे देवीथला की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी-ग्राम देवीथला, ग्राम सभा-बावनधार, पोस्ट-मदर्सू तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम मदर्सू के मजरे जाखन की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री जगत सिंह निवासी-ग्राम जाखन, ग्राम सभा व पोस्ट-मदर्सू, तहसील, विकास नगर जनपद- देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत बावनधार की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री गोपाल सिंह निवासी-ग्राम बावनधार, ग्राम सभा-बावनधार, पोस्ट-मदर्सू, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत मटोगी के मजरे हरलुईथात की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री जगदीश सिंह, निवासी-ग्राम हरलुईथात, ग्राम सभा-मटोगी, पोस्ट-मदर्सू, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, सदस्य, विधान सभा, द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर के ग्राम सोरना के सोरना लोअर की जीर्ण-शीर्ण पाइप लाईन का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में'' श्री बलवीर सिंह, निवासी-ग्राम सोरना लोअर, तहसील-विकास नगर जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने नियम-65 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचना जो विधायक निधि का पैसा अवमुक्त न किये जाने से संबंधित है।

श्री मदन कौशिक ने नियम-65 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचना जो जून 2013 में उत्तराखण्ड में आई आपदा पर पीठ द्वारा दिये गये निर्णयानुसार कार्य न होने से संबंधित है।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक'' ने नियम-65 के अन्तर्गत लोकायुक्त विधेयक जो अधिनियम बन गया, लेकिन पुनः उक्त विधेयक को पारित किये जाने से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि सभी विशेषाधिकार हनन की सूचना जो आज प्राप्त हुई हैं वे उसे विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित करते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक 2014 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 जनवरी, 2014 की बैठक में दिनांक 21 जनवरी, 2014 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः-

जनवरी 2014

21 मंगलवार 1. **सामान्य कार्य**

2. **विधायी कार्य :-**

1. उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2014 पर विचार एवं पारण। (15 **मिनट**)
2. उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (1 **घण्टा**)
3. उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 **मिनट**)
4. उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 **मिनट**)
5. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 **मिनट**)
6. हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 **मिनट**)
7. उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 **मिनट**)

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की कार्यवाही 01 बजकर 34 मिनट पर भोजनावकाश के लिए 3:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 3:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

आज नियम-58 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई।

जनपद हरिद्वार की सरकारी भूमि को अवैध रूप से अधिग्रहण करने विषयक सूचना की ग्रह्यता पर मा0 सदस्य श्री मदन कौशिक ने अपने विचार व्यक्त किये। नेता सदन व संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र बीएचइएल रानीपुर की सलेमपुर महद्द में ग्राम सभा की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर मा0 सदस्य श्री आदेश चौहान मा0 सदस्य विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। राजस्व मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधान सभा के अन्तर्गत 2012 के पूर्व स्वीकृत सड़कों की योजना हेतु धन अवमुक्त न होने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर मा0 सदस्य श्री बिशान सिंह चुफाल ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत किच्छा स्थित भा0ज0पा0 के युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष को बिना दोष के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर मा0 सदस्य श्री राजेश शुक्ला ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में सरकारी सेवाओं में शासनादेश के बावजूद 25000 अनुसूचित जाति, जनजाति के रिक्त पदों को भरे जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर मा0 सदस्य श्री चन्दन राम दास ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद देहरादून अन्तर्गत मसूरी में 5 दिनों से जल व विद्युत आपूर्ति बाधित होने विषयक नियम 310 की सूचना की ग्राह्यता पर मा0 सदस्य श्री गणेश जोशी ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 पेयजल मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

शेष सूचनाओं को शासन के ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार किया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, सदस्य, विधान सभा ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

> ''यह सदन महामहिम राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2014 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नेता प्रतिपक्ष के भाषण से आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए :-

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल,
श्री संजय गुप्ता,
श्री सुबोध उनियाल,

नेता सदन के उत्तर भाषण के उपरान्त भाजपा द्वारा दिए गए संशोधन जो उपस्थित किए हुए माने गये थे, अस्वीकृत हुए तथा श्रीमती इन्दिरा हृदयेश द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद का प्रस्ताव मूलरूप में स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2014 पर विचार किया जाय।

श्री मदन कौशिक ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त संशोधन अस्वीकृत हुए तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त संशोधन अस्वीकृत हुए तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड -2 से खण्ड-4, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री राजेश शुक्ला, मा0 सदस्य ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए।

निम्नांकित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए :-

श्री नवप्रभात, सदस्य ने चर्चा में भाग लेते हुए अपने विचार रखे।

श्री विजयपाल सिंह सजवाण, ने अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

श्री अजय भट्ट नेता प्रतिपक्ष, श्री मदन कौशिक तथा श्री हरबन्स कपूर ने अपने विचार व्यक्त किए। कृषि मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

नेता सदन ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी विधान सभा सत्र में 10 फरवरी, 2014 को सदन में प्रस्तुत करें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड -2 से खण्ड-3, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। श्री जीत राम ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त नेता प्रतिपक्ष ने संशोधन प्रस्ताव वापस लिया। विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड -2 से खण्ड-3 विधेयक के अंग बने, खण्ड-4 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना, खण्ड-5 से खण्ड-51, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 संशोधित रूप में पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। श्री अजय भट्ट नेता प्रतिपक्ष, श्री हरबन्स कपूर व श्री हरीश धामी ने अपने विचार व्यक्त किए। विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड -2 से खण्ड-6, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। श्री हरबन्स कपूर ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

नेता सदन ने स्पष्टीकरण दिया। नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। विपक्ष ने सदन का परित्याग किया।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड -2 से खण्ड-62, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

> "मैं प्रस्ताव करती हूं कि श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 की धारा 5 (1) (ख) के अधीन, श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति में 03 मा0 विधान सभा सदस्यों को नामित किये जाने हेतु यह सदन माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करता हैं। इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आज नियम-53 के अन्तर्गत 08 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से-

"विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड पाटी में ग्राम रीठा से ग्राम टाँण तक सड़क निर्माण हेतु प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अधिगृहीत की गई भूमि का मुआवजा सम्बन्धित जनता को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में" श्री पूरन सिंह फर्त्याल की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया तथा

"विधान सभा क्षेत्र-भीमताल के विकास खण्ड धारी के ग्राम धानाचूली में विगत कई वर्षो से लिफ्ट पेयजल योजना की मांग के उपरान्त भी पेयजल योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई न होने से उत्पन्न जनआक्रोश के सम्बन्ध में" श्री दान सिंह भण्डारी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

प्रदेश में बंदरों के आतंक से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हो रहे जान-माल के नुकसान के संबंध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, वन मंत्री ने वक्तव्य दिया।

मा0 मुख्यमंत्री द्वारा रुड़की शहर में यातायात नियंत्रण हेतु स्पीड ब्रेकर एवं ट्रैफिक कन्ट्रोल लाइट्स लगाये जाने की घोषणा के बाद भी इस संबंध में कोई कार्यवाही न होने के संबंध में श्री प्रदीप बत्रा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, शहरी विकास मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन का उपवेशन 08:00 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
गोविन्द सिंह कुंजवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।